

प्रेस नोट

थाना सिधारी

चोरी के सोने व चांदी के जेवरात (लगभग 1.5 लाख रुपये), अवैध तमंचा व कारतूस के साथ तीन शातिर चोर गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवम् चोर /अवैध शराब माफियों की गिरफ्तारी व टाप 10 अपराधियों की शत प्रतिशत गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत **अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर डा0 राजेश कुमार** के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र मय हमराहीगण के देखभाल क्षेत्र तलाश वाछित अभियुक्तगण मे भ्रमणशील होकर हाईडिल चौराहे पर मौजूद थे कि उसी समय मुखबिर ने सूचना दिया कि आपके थाने पर पंजीकृत मु0अ0स0 168/20 धारा 457/380 भादवि का अपराधी जो दिनांक-01.10.20 रात्रि मे चोरी हुआ था वे सब चोरी का सामान लेकर समद पब्लिक स्कूल शाहगढ़ के सामने बगिया में सोनार को बोलाकर बेच रहे है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सिधारी मय हमराही के समद पब्लिक स्कूल शाहगढ़ के सामने बगिया में पहुंचे तो वहा पर तीन लोग खड़े थे और चोरी के सोने व चांदी के जेवरात को सोनार से तौलाकर बेच रहे थे कि जिन्हे पुलिस हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ किया गया तो बताये कि हम लोग कई जगहो पर चोरी कर चोरी का सामान बेचते है। यह सब हम लोग पैसो के लालच में करते है। मौके पर तलाशी से उनके कब्जे से दो अदद तमन्चा .315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 16,500 रुपया , 150 रुपये के सिक्के , 03 अदद अंगुठी पीली धातु की , एक अदद मंगलसूत्र लाकेट पीली धातु , एक अदद चैन (सिकड़ी) पीली धातु की, चार जोड़ी पायल सफेद धातु की , दस जोड़ी बिच्छुआ सफेद धातु की , एक अदद इलेक्ट्रानिक तौल मशीन (छोटी) , एक अदद मोबाईल बरामद हुआ। नाम पता पूछने पर उन्होने अपना नाम क्रमशः 1. रामा खरवार पुत्र नरेश खरवार सा0 शान्तीनगर बस स्टैण्ड बक्सर थाना माडल बक्सर जनपद बक्सर (बिहार) 2. बमजी खरवार पुत्र छोटेलाल खरवार निवासी बिहिया धरहरा थाना बिहिया जनपद आरा (बिहार) उम्र 3. दिनेश कुमार वर्मा पुत्र हीरालाल वर्म सा0 मुंशीपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ बताये। बरामद माल के सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्तो से पूछताछ पर बताये कि ये बरामद माल विभिन्न चोरियो से सम्बन्धित है जिसमे दिनांक 01.10.2020 को थाना सिधारी क्षेत्र के ग्राम खेमऊपुर स्थित मकान में अभियुक्तगणो ने चोरी किया था जिसके सम्बन्ध में थाना सिधारी पर मु0अ0सं0-168/2020 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया था उस चोरी के माल में से दो जोड़ी पायल,तीन अदद अंगुठी,एक अदद सोने की चेन (सिकड़ी),10 जोड़ी बिछुवा व 15 हजार रुपये है। इसी क्रम में पुछताछ में बताये की अभियुक्तगणो ने मिलकर थाना मुबारकपुर के सठियाव कस्बे में स्थित हार्डवेयर की दुकान में भी चोरी किया था जिसके सम्बन्ध में थाना मुबारकपुर में मु0अ0स0 186/20 धारा 380/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। जिससे सम्बन्धित माल 150 रुपये मूल्य के सिक्के एव 1500 रुपये बरामद हुआ है। थाना निजामाबाद में भी एक मकान में घुसकर अभियुक्तगणो ने चोरी की जिसके सम्बन्ध में थाना निजामाबाद में मु0अ0स0 177/20 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत हुआ था जिससे सम्बन्धित एक जोड़ी पायल बरामद हुआ है। थाना देवगांव में भी अभियुक्तगणो ने रेवसा गांव के एक मकान में घुसकर रुपये की चोरी की थी जिसके सम्बन्ध में थाना देवगांव में मु0अ0स0 218/20 धारा 380 भादवि पंजीकृत हुआ था जिसमें चोरी किये गये रुपये खर्च हो गये। आज अभियुक्तगण बरामद किये गये माल को बेचने के लिये मऊ के सोनार दिनेश कुमार वर्मा को बुलाये थे जो आज आया था और चोरो के द्वारा चोरी किये गये सामान को वजन कर खरीद रहा था कि पुलिस बल द्वारा पकड़ लिये गये। दिनेश कुमार वर्मा से कड़ाई से पूछताछ किया गया तो बताये कि इन लोगो से चोरी का कई बार सामान खरीदा हूं उसके ऐवज मे पैसा कई बार दिया हूं। गिरफ्तारी एव बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर 1. मु0अ0स0 174/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़ 2.मु0अ0स0 175/20 धारा 3/25 आ र्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़ पंजीकृत कर अभियुक्तगणो का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

- 1.मु0अ0स0 168/20 धारा 457/380/411/414/34 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
2. मु0अ0स0 174/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़
3. मु0अ0स0 175/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़
2. मु0अ0स0 186/20 धारा 380/411 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़
3. मु0अ0स0 177/20 धारा 457/380 भादवि थाना निजामाबाद आजगढ़
4. मु0अ0स0 218/20 धारा 380 भादवि थाना देवगाव आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1. रामा खरवार पुत्र नरेश खरवार सा0 शान्तीनगर बस स्टैण्ड बक्सर थाना माडल बक्सर जनपद बक्सर (बिहार)
2. बमजी खरवार पुत्र छोटेलाल खरवार सा0 बिहिया धरहरा थाना बिहिया जनपद आरा (बिहार)
3. दिनेश कुमार वर्मा पुत्र हीरालाल वर्म सा0 मुंशीपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ उ0प्र0

बरामदगी

1. दो अदद तमन्चा .315 बोर
2. दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
3. 16,500 रुपया , 150 रुपये के सिक्के,
4. 03 अदद अंगुठी पीली धातु की ,
5. एक अदद मंगलसूत्र लाकेट पीली धातु ,
6. एक अदद चैन (सिकड़ी) पीली धातु की,
7. चार जोड़ी पायल सफेद धातु की ,
8. दस जोड़ी बिच्छुआ सफेद धातु की ,
9. एक अदद इलेक्ट्रानिक तौल मशीन (छोटी) ,
10. एक अदद मोबाईल

गिरफ्तार /बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. प्रभारी निरीक्षक श्री विनय कुमार मिश्र थाना सिधारी मय हमराह आजमगढ़।
2. उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह थाना सिधारी मय हमराह आजमगढ़।
3. उ0नि0 रामबहादुर यादव सिधारी मय हमराह आजमगढ़।

